

- 1 - वाद सं :- 76 / 2024 भवंरलाल बनाम मंजूदेवी वगैराह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार I (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 76 / 2024 GCMS 2024/141

वादी :-

1. भवंरलाल पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी चान्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

प्रतिवादीगण :-

1. मंजूदेवी पत्नी अमृतलाल
2. रामनिवास पुत्र घीसाराम
3. गिरधारीराम पुत्र रामूराम
4. मनोहर लाल पुत्र रामूराम
5. रघुनाथराम पुत्र खेमराम
6. हजारीलाल पुत्र रामूराम जाति समस्त जाट निवासी चान्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन

7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी


वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :- श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री अनिल कुमावत प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04 की ओर से

-:निर्णय :-

दिनांक :- 17/06/2025

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2025/910 दिनांक 10.06.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 04.06.2025 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 16.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 2 - वाद सं :- 76 / 2024 भवंरलाल बनाम मंजूदेवी वगैरह
 तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पडौंसियों ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम चान्दपुरा पटवार मण्डल जिलिया सिटी तहसील कुचामनसिटी में निम्नवत टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार काबिज है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	भवंरलाल पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/3 रामनिवास पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/3 मंजू देवी पत्नी अमृतलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदारान रहन बदस्तूर	1299	2.52	बारानी 2
		1300	0.05	गै.मु. रास्ता
		1301	0.55	बारानी 1
		03	3.12	
2.	भवंरलाल पुत्र घीसाराम हिस्सा 7/60 रामनिवास पुत्र घीसाराम हिस्सा 7/60 मंजूदेवी पत्नी अमृतलाल हिस्सा 7/60 गिरधारीराम पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 मनोहरलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 हजारीलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 रघुनाथराम पुत्र खेमाराम हिस्सा 13/60 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर	1304 में से रास्ता हेतु	0.12	बारानी 1
3.	गिरधारीराम पुत्र रामूराम हिस्सा 80287 / 377100 मनोहरलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 80287 / 377100 हजारीलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 80287 / 377100 रघुनाथराम पुत्र खेमाराम हिस्सा 45413 / 125700 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर	1302	0.01	गै.मु. कुआं
		1303	0.02	गै.मु. ढाणी
		1304 में से उत्तरी तरफ	6.94	बारानी 1
		1304 में से दक्षिण की तरफ	5.60	बारानी 1
		04	12.57	

पक्षकारान मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहता है। पक्षकार का कब्जा काश्त नजरी नक्शा एवं टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार दर्शाया गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

-: आदेश :-

वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चान्दपुरा पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी मे निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-




अखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (डंडवाना-कुचामन)

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर में	किस्म
1.	भवंरलाल पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/3 रामनिवास पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/3 मंजू देवी पत्नी अमृतलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदारान रहन बदस्तूर	1299	2.52	बारानी 2
		1300	0.05	गै.मु. रास्ता
		1301	0.55	बारानी 1
		03	3.12	
2.	भवंरलाल पुत्र घीसाराम हिस्सा 7/60 रामनिवास पुत्र घीसाराम हिस्सा 7/60 मंजूदेवी पत्नी अमृतलाल हिस्सा 7/60 गिरधारीराम पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 मनोहरलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 हजारीलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 रघुनाथराम पुत्र खेमाराम हिस्सा 13/60 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर	1304 में से रास्ता हेतु	0.12	बारानी 1
3.	गिरधारीराम पुत्र रामूराम हिस्सा 80287/377100 मनोहरलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 80287/377100 हजारीलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 80287/377100 रघुनाथराम पुत्र खेमाराम हिस्सा 45413/125700 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर	1302	0.01	गै.मु. कुआं
		1303	0.02	गै.मु. ढाणी
		1304 में से उत्तरी तरफ	6.94	बारानी 1
		1304 में से दक्षिण की तरफ	5.60	बारानी 1
		04	12.57	

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 04.06.2025 एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (सुनील कुमार-I RAS)
 उपपरिषद अधिकारी
 कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

- 4 - वाद सं :- 76/2024 भंवरलाल बनाम मंजूदेवी वगैराह

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6-7 जादा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)
बईजलास :- सुनील कुमार I (RAS)
राजस्व वाद संख्या :- 76/2024

GCMS 2024/141

वादी :-
1. भंवरलाल पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी चान्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला
डीडवाना-कुचामन

प्रतिवादीगण :-

1. मंजूदेवी पत्नी अमृतलाल
2. रामनिवास पुत्र घीसाराम
3. गिरधारीराम पुत्र रामूराम
4. मनोहर लाल पुत्र रामूराम
5. रघुनाथराम पुत्र खेमराम
6. हजारीलाल पुत्र रामूराम जाति समस्त जाट निवासी चान्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला
डीडवाना-कुचामन
7. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188
राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता हाजिरी....
..... मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री अनिल कुमावत मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है
कि वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम चान्दपुरा पटवार मण्डल जिलिया कुचामन
सिटी तहसील कुचामनसिटी में निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को
खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर में	किस्म
1.	भंवरलाल पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/3	1299	2.52	बारानी 2
	रामनिवास पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/3	1300	0.05	गै.मु. रास्ता
	मंजू देवी पत्नी अमृतलाल हिस्सा 1/3	1301	0.55	बारानी 1
	जाति जाट सा. देह खातेदारान रहन बदस्तूर	03	3.12	
2.	भंवरलाल पुत्र घीसाराम हिस्सा 7/60 रामनिवास पुत्र घीसाराम हिस्सा 7/60 मंजूदेवी पत्नी अमृतलाल हिस्सा 7/60 गिरधारीराम पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 मनोहरलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 हजारीलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 13/90 रघुनाथराम पुत्र खेमराम हिस्सा 13/60 जाति जाट सा. देह खातेदार	1304 में से रास्ता हेतु	0.12	बारानी 1

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)



3.	रहन बदस्तूर					
	गिरधारीराम पुत्र रामूराम हिस्सा 1302	80287 / 377100		0.01		गै.मु. कुआं
				0.02		गै.मु. ढाणी
	मनोहरलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 1304 में से उत्तरी तरफ	80287 / 377100		6.94		बारानी 1
	हजारीलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 1304 में से दक्षिण की तरफ	80287 / 377100		5.60		बारानी 1
रघुनाथराम पुत्र खेमाराम हिस्सा जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बदस्तूर	45413 / 125700		04	12.57		

निज मुबलिंग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

उपरकण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
 आहिदा.....

(मुहर)	मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल				खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन				फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर				बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा				मुतफरिक		
मीजान				मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



(सुनील कुमार-I RAS)
 उपरकण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
 आहिदा.....